संख्या- 81 /2022/ 429 /चार-2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2022**

विषय:-आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के जनपदों का आजादी में योगदान से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान के पत्र संख्या- मेमो/कैम्प त्रिपुरा/अमृत महोत्सव/ 2021-22 दिनांक 23 मार्च, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान द्वारा 'उत्तर प्रदेश के जनपदों का आजादी में योगदान से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के जनपदों का आजादी में योगदान के संबंध में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के इतिहास, संस्कृति एवं आजादी से सम्बन्धित 75 प्रामाणिक पुस्तकों के शोध/सर्वेक्षण/ अभिलेखीकरण/ टंकण एवं प्रकाशन आदि कार्य हेतु रू0 175.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय तथा प्रथम चरण के कार्य हेतु रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों की स्वतन्त्रता आन्दोलन में भूमिका को रेखांकित करते हुए उस जनपद की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु सभी जनपदों की अलग-अलग पृष्ठभूमि के दृष्टिगत उन जनपदों पर एक प्रामाणिक पुस्तक का प्रकाशन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति गठित की जायेगी:-

1.	प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग	अध्यक्ष
2.	विशेष सचिव, संस्कृति विभाग	सदस्य
3.	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
4.	कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
5.	कुलपति, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय	सदस्य
6.	दो प्रख्यात साहित्यकार	सदस्य
7.	दो प्रख्यात इतिहासकार	सदस्य
8.	निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ	सदस्य
9.	निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ	सदस्य
10.	निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान	समन्वयक सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. प्रस्तावित कार्य हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर जनपद स्तर पर कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु तथ्य संकलन, अभिलेखीकरण एवं प्रकाशन का कार्य अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से कराया जायेगा। जनपद स्तर पर समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा:-

1. जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	- उपाध्यक्ष
3. नगर आयुक्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका	- सदस्य
4. जिलाधिकारी द्वारा नामित कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास के क्षेत्र से सम्बन्धित 03 विषय विशेषज्ञ	- सदस्य
5. उपनिदेशक/ सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी	- सदस्य
6. संस्कृति विभाग का मण्डलीय/अन्य उपलब्ध अधिकारी	- सदस्य सचिव
7. निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान	- संयोजक

5. उक्त कार्य के लिए प्रत्येक जनपद में स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार एक शैक्षिक समिति होगी जिसके द्वारा अपनी संस्तुति जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी और जनपद स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति शासन एवं नोडल अधिकारी - निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान को प्रेषित की जायेगी:-

1. प्रधान सम्पादक
2. तीन शोध सर्वेक्षक (जो प्रधान सम्पादक के निर्देशानुसार सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करेंगे।)

6. उक्त समिति द्वारा प्रस्तावित शोध/सर्वेक्षण/अभिलेखीकरण का कार्य 03 माह में पूर्ण कर टंकित पाण्डुलिपित जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी। संस्थान द्वारा शासन की यथापेक्षित स्वीकृति प्राप्त कर प्रकाशन कार्य को मूर्त रूप प्रदान किया जायेगा। प्रकाशन का कार्य अयोध्या शोध संस्थान द्वारा पूर्ण कराया जायेगा।

7. प्रत्येक जनपद में पुस्तक के शोध/सर्वेक्षण/ अभिलेखीकरण/ लेखन/ टंकण कार्य पूर्ण हो जाने पर इसे पुस्तकाकार में प्रकाशित कराया जायेगा। इस हेतु एक जनपद की पुस्तक की 500 प्रतियाँ (जिसमें लगभग 175 पृष्ठ होंगे और इन पृष्ठों में 08 पृष्ठ रंगीन तथा रंगीन कवर और शेष पृष्ठ श्वेत/श्याम होंगे) का प्रकाशन कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार शोध/ सर्वेक्षण/ अभिलेखीकरण/ प्रकाशन आदि के कार्यों हेतु सभी 75 जनपदों के लिए पुस्तक के प्रकाशन पर निम्नानुसार व्यय किया जायेगा:-

1. शोध/सर्वेक्षण/अभिलेखीकरण/पाण्डुलिपि तैयार कराने आदि पर व्यय	रू0 56,25,000.000
2. 75 पुस्तकों के प्रकाशन पर व्यय	रू0 1,12,50,000.00
3. अन्य विविध व्यय	रू0 6,25,000.00
कुल योग (रु. एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)	रू0 1,75,00,000.00

8. उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों पर इतिहास, संस्कृति एवं आजादी से सम्बन्धित 75 प्रामाणिक पुस्तकें विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी। कुल 500 मुद्रित पुस्तकों में से 100 प्रतियाँ, प्रत्येक जनपद की, विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी और शेष 400 पुस्तकें प्रति जनपद सम्बन्धित प्रकाशक के पास विक्रय/प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध होंगी।

9. इस सम्पूर्ण कार्य को तीन चरणों में सम्पादित किया जायेगा। प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के उन 25 जनपदों को लिया जाय जिनका आजादी की प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान था। द्वितीय चरण में 25 जनपद और तृतीय चरण में अन्तिम 25 जनपदों को लिया जायेगा। यह समस्त कार्य दिनांक 15 अगस्त, 2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। शोध/सर्वेक्षण/अभिलेखीकरण/प्रकाशन का समस्त कार्य अयोध्या शोध संस्थान के माध्यम से कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. उपरोक्तानुसार होने वाले समस्त व्यय हेतु धनराशि आहरित कर अयोध्या शोध संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी और संस्थान द्वारा नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। संस्थान द्वारा समस्त बिल/बाउचर आदि शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।

11. वास्तविक व्यय के अनुसार धनराशि का भुगतान करते हुए स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार समायोजन किया जायेगा।

12. तीन-चार फर्मो से प्रकाशन की दरें प्राप्त कर मूल्यांकन करते हुए, प्रकाशन का कार्य मितव्ययिता के साथ पूर्ण किया जायेगा।

13. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

14. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

15. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन की जायेगी।

भवदीय,
(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या 81 /2022/ 429 (1) /चार-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।